

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां, R.T.S.
मिसल नं. :::: 31/2017

सरकार बनाम सुमेर, मोहरसिंह पुत्र रामकुमार,
जाति-कुम्हार, निवासी- धिंधवा बिचला

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 10.03.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सुमेर, मोहरसिंह पुत्र रामकुमार, जाति-कुम्हार, निवासी- धिंधवा बिचला द्वारा रोही मौजा धिंधवा बिचला की राजकीय भूमि ख.नं. 32 कुल रकबा 18. 3130 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.02 है० भूमि पर कुरड़ी, छड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उन्होंने अतिक्रमण हटा लिया है। गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 43 पर
वर्ष 16-17 में रूपये 6/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़